सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या – 317 राँची, सोमवार, 18 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जुलाई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-33/2019-6945 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-847/03, गृह जिला-गरिडीह) निदेशक (प्रशासन), गृह (कारा) निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध अधिसूचित (निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा) पद पर योगदान नहीं करने संबंधी आरोप विभाग स्तर पर प्रपत्र-'क' में गठित किया गया। प्रपत्र-'क' में श्री कुमार के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं

(i) श्री मनोज कुमार (कोटि क्रमांक-847/03), झा०प्र०से० का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं०-1504, दिनांक 18.02.2019 द्वारा निदेशक प्रशासन, गृह (कारा) निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से स्थानांतरित करते हुए निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया गया, परन्तु इनके द्वारा अभी तक अधिसूचित (निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा) पद पर योगदान नहीं किया गया है ।

(ii) लोक सभा आम चुनाव, 2019 के दौरान कार्यों की महत्ता को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री कुमार को अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु निदेशित करने के बावजूद इनके द्वारा मनमानापन रवैया अपनाते हुए बार-बार उपार्जित अवकास विस्तार करने हेतु अनुरोध करते हुए बिना सूचना एवं अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं ।

(iii) श्री कुमार का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना, मनमानापन रवैया, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण विभागीय संकल्प सं०-9291, दिनांक 22.11.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-82, दिनांक 04.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य गठित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत योग्य प्रतीत होता है एवं आरोपी पदाधिकारी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी श्री मनोज कुमार द्वारा स्थानांतरण आदेश संख्या-1504, दिनांक 18.02.2019 एवं अर्जित अवकाश हेतु समर्पित आवेदन को विभाग द्वार अस्वीकृत करने संबंधी पत्र सं०-3177, दिनांक 15.06.2020 को रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग वाद 1134/19 एवं 3195/19 दायर किया गया है। W.P.(S)No- 1134/19 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2019 को पारित न्यायादेश द्वारा मनोज कुमार से संबंधित स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया है। बाद में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे दायर LPA no- 417/2009 मे दिनांक 21.10.2019 को पारित न्यायदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है ।

इसी तरह W.P.(S)No- 31954/19 में भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2020 को पारित आदेश में अर्जित अवकाश रद्द करने संबंधी पत्र सं०-3177, दिनांक 18.04.2019 को रद्द कर दिया गया । फलस्वरूप विभाग द्वारा अधिसूचना सं०-4964, दिनांक 01.10.2020 द्वारा दिनांक-19.02.2019 से 08.05.2019 तक आवेदक को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि जिस स्थानांतरण आदेश को आधार बनाकर आरोप पत्र का गठन किया गया था। उक्त आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है एवं अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोप के संदर्भ में विभाग द्वारा दिनांक 19.02.2019 से 08.05.2019 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। उक्त आलोक में ही विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार, निदेशक (प्रशासन), गृह (कारा) निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/27	श्री मनोज कुमार, निदेशक (प्रशासन), गृह (कारा) निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 317 – 50